रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2016/वैशाख 23, 1938
No. 341] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2016/VAISAKHA 23, 1938

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

(राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की कार्य परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सा.का.नि. 507 (अ).—कार्य परिषद्, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 (2012 का 35) की धारा 32 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, 2013 का प्रथम परिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रथम परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2016 है ।

(2) यह उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, 2013 का प्रथम परिनियम के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल परिनियम कहा गया है) परिनियम (2) के उप–परिनियम (1) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

'(गक) "अनुसंधान पाठ्य बोर्ड" से अधिनियम की धारा 11 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(गख) "अध्ययन बोर्ड" से अधिनियम की धारा 11 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

'(ङक) "परीक्षा नियंत्रक" से अधिनियम की धारा 21 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट संस्थान का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है ;

(ङख) "संकायाध्यक्ष" से संस्थान की किसी विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङग) "प्रभाग" से परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लगी हुई संस्थान की कोई इकाई अभिप्रेत है ;'

(iii) खंड (छ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

'(छक) "कर्मचारी" से संस्थान द्वारा सम्यक् रूप से नियोजित और उपलब्धियां प्राप्त करने वाला कोई कर्मचारी अभिप्रेत है ;

(छख) "संकाय" से संस्थान का कोई अध्यापन और अनुसंधान संकाय अभिप्रेत है ;

(छग) "वित्त समिति" से अधिनियम की धारा 11 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(छघ) "वित्त अधिकारी" से अधिनियम की धारा 21 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट संस्थान का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

'(जक) "अधिकारी" से अधिनियम की धारा 21 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट संस्थान का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(जख) "योजना बोर्ड" से अधिनियम की धारा 11 के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;';

(v) खंड (झ) में, "कोई कार्यक्रम" शब्दों के स्थान पर, "सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) खंड (झ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'(झक) "नियमों" से अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान के नियम अभिप्रेत है ;';

(vii) खंड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(ञक) "विद्यापीठ" से संस्थान की कोई विद्यापीठ अभिप्रेत है ;'।

3. मूल परिनियमों के परिनियम 3 के खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

"(ङ) योजना बोर्ड ;

(च) अध्ययन बोर्ड ; और

(छ) अनुसंधान पाठ्य बोर्ड ।"।

4. मूल परिनियमों के परिनियम 4 में,—

(i) उप परिनियम (4) और उप परिनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप परिनियम रखे जाएंगे, अर्थात:—

"(4) कार्य परिषद् की बैठकें, संस्थान के निदेशक द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से या कार्य परिषद् के पचास प्रतिशत् से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्षा पर बुलाई जाएंगी ।

(5) कार्य परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति कम से कम एक–तिहाई सदस्यों से होगी : परंतु यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित हो जाती है तो वह बैठक, उसके आयोजन के नियत समय से आधा घंटे के पश्चात् आयोजित की जाएगी और तब उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।";

(ii) उप परिनियम (6) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "वह व्यक्ति, जो अध्यक्षता करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उप परिनियम (13) के स्थान पर, निम्नलिखित उप परिनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(13) कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त निदेशक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के, जिसने कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता की है, अनुमादेन के पश्चात् सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा और अगली बैठक में रखा जाएगा तथा उस अगली बैठक में या परिचालन के माध्यम से सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी ।;"

(iv) उप परिनियम (16) में, "कोई भी विषय पहले भवन और कार्य समिति द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, तब तक कार्य परिषद् के समक्ष नहीं रखा जाता जब तक कि कार्य परिषद् के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भवन और कार्य समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी विषय पर, जिस पर पहले भवन और कार्य समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए, कार्य परिषद् के समक्ष नहीं रखा जाएगा, जब तक उस पर वित्त समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उप परिनियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप परिनियम रखे जाएंगे, अर्थात:—

"(17) ऐसे किसी विषय को, जिस पर पहले विद्या परिषद् या भवन और कार्य समिति या वित्त समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए, सीधे कार्य परिषद् के समक्ष नहीं रखा जाएगा ।

IndiaCode

(18) यदि कार्य परिषद् का कोई सदस्य, परिषद् की बैठक से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है तो वह परिषद् का सदस्य होने से विरत हो जाएगा ।"।

5. मूल परिनियम के परिनियम 5 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:—

"कार्य परिषद् के प्रतिनिधियों की शक्तियां और कृत्य"।

6. मूल परिनियम के परिनियम 7 में,—

(i) उप परिनियम (3) में, "विद्या परिषद् के प्रतिनिधियों को" शब्दों के स्थान पर, "विद्या परिषद् के लिए प्रतिनिधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप परिनियम (4) में, "किसी कलैंडर वर्ष के दौरान इसकी बैठक, दो से कम नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "संस्थान के किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान इसकी बैठक तीन से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उप परिनियम (7) में, "सदस्यों में से आधे सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "सदस्यों में से एक–तिहाई सदस्यों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उप परिनियम (8) में, "अध्यक्षता की जाएगी" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा";

(v) उप परिनियम (12) में, "रजिस्ट्रार द्वारा" शब्दों के पश्चात, "निदेशक के परामर्श से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vi) उप परिनियम (13) के पश्चात, निम्नलिखित उप परिनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

"(14) सूचना दस्ती द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से या साधारण डाक द्वारा भेजी जा सकेगी ।

(15) रजिस्ट्रार द्वारा बैठक के कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को कार्य सूची का परिचालन किया जाएगा ।

(16) प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन और संकाय सदस्य तथा कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तों पर विचार विमर्श के दौरान विद्या परिषद् के छात्र प्रतिनिधि को भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।"।

7. मूल परिनियम के परिनियम 8 में,––

(i) आरंभिक पैरा में, "शक्तियां होंगी" शब्दों के स्थान पर, "शक्तियां और कृत्य होंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (i) में, "अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अध्ययन कार्यक्रमों के लिए, जिसकी पाठ्य बोर्ड द्वारा सिफारिश की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ii) में, "परामर्शदात्री परिषदों द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "संस्थान के समुचित प्राधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (iv) में, "परिणाम घोषित करना" शब्दों के स्थान पर, "परिणामों का अनुमोदन करना" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (vi) और खंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:––

"(vi) विभिन्न प्रभागों, स्कूलों, केंद्रों और विभागों से सहबद्ध संस्थान के समुचित प्राधिकारियों तथा विशेषज्ञों और अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और समुचित कार्रवाई के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करना ;

(vii) संकायों, प्रभागों, स्कूलों, केंद्रों और विभागों के कार्यकलापों का आवधिक पुनर्विलोकन के लिए उपबंध करना और समुचित कार्रवाई के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करना ;";

(vi) खंड (viii) में, "आवधिक पुनर्विलोकन करना" शब्दों के स्थान पर, "आवधिक पुनर्विलोकन के लिए उपबंध करना" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (ix) में, "आवधिक पुनर्विलोकन करना" शब्दों के स्थान पर, "आवधिक पुनर्विलोकन के लिए उपबंध करना" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) खंड (x) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(x) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ तीन वर्ष में एक बार प्रभागों, स्कूलों, केंद्रों, विभागों, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक अवसंरचना के कार्यकरण और कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिए व्यापक शैक्षणिक संपरीक्षा प्रणाली का उपबंध करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना ;";

IndiaCode

(ix) खंड (xiii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(xiii) समुचित अवसंरचना के साथ संस्थान के प्रभागों, स्कूलों, केंद्रों और विभागों के सृजन, पुनर्गठन या बंद किए जाने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करना ;";

(x) खंड (xv) में, "सिफारिश करना" शब्दों के स्थान पर, "सिफारिशों की सिफारिश करना" शब्द और "दूरस्थ शिक्षा" शब्दों के स्थान पर, "वास्तविक शिक्षा" शब्द रखे जाएंगे ;

(xi) खंड (xv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(xvi) देश के भीतर और विदेशों में शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग, संयुक्त शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों की सिफारिश करना ।"।

8. मूल परिनियम के परिनियम 9 में, "इसके अनुमोदन" शब्दों के पश्चात, "और अनुसमर्थन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. मूल परिनियम के परिनियम 10 में,—

(i) हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ;

(ii) उप परिनियम (2) में, "किसी वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "किसी वित्तीय वर्ष में" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उप परिनियम (3) में, "किसी बैठक का कोरम में" शब्दों के स्थान पर, "बैठक की गणपूर्ति में" शब्द रखे जाएंगे ।

10. मूल परिनियम के परिनियम 11 में,—

(i) उप परिनियम (1) के खंड (च) में, "एक विशेषज्ञ, अधीक्षण अभियंता के स्तर से कम का न होगा" शब्दों के स्थान पर, "दो विशेषज्ञ, अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति से नीचे के न हों – सदस्य" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप परिनियम (3) में, "एक वर्ष में चार बार" शब्दों के स्थान पर, "किसी वित्तीय वर्ष में चार बार" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप परिनियम (5) में "कार्य परिषद के समक्ष रखा जायेगा" शब्दों के स्थान पर, "वित्त समिति के माध्यम से भेजा और कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जायेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

11. मूल परिनियम में, परिनियम 12 में, उप परिनियम (2) में, "कार्य परिषद" शब्दों के पश्चात "के अनुसमर्थन एवं अनुमोदनार्थ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

12. मूल परिनियम में, परिनियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"13. अध्यक्ष की शक्तियाँ: कुलाध्यक्ष की ओर से, अध्यक्ष, संस्थान और निदेशक के मध्य सेवा संविदा को निष्पादित करेगा"।

13. मूल परिनियम के, परिनियम 15 में,—

(i) शीर्षक में, "निदेशक और उसकी शक्तियाँ" शब्दों के स्थान पर, "निदेशक की शक्तियाँ" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप परिनियम (2) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "कार्य परिषद के अध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उप परिनियम (5) में, "कार्य परिषद द्वारा बनाए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए" पांच हजार रुपये तक की सीमा की अप्रतिसंहरणीय हानि को और खोई हुई भंडार मदों या मरम्मत न हो सकने वाली सामान्य टूट–फूट या गत प्रयोग होने के कारण अप्रतिसंहरणीय मूल्य की पच्चीस हजार रुपए तक की सीमा की अवसूलीय "शब्दों के स्थान पर "कार्य परिषद द्वारा यथा अनुबाद्धित पांच हजार रुपए तक की सीमा की अप्रतिसंहरणीय हानि को और खोई हुई भंडारण मदों या मरम्मत टूट–फूट या गत प्रयोग होने के कारण अप्रतिसंहरणीय मूल्य की अवसूलीय" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप परिनियम (6) में, "संस्थान समीप के" शब्दों का लोप किया जाए।

(v) उप परिनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप परिनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(7) निदेशक को कार्य परिषद के अनुमोदन से समय–समय पर, अस्थायी आधार पर शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारीवृंद को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिन्हें एक वर्ष से अधिक के लिए आकस्मिक निधि से संदाय किया जा सकेगा ।

(7क) निदेशक को, केन्द्रीय सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग के परामर्श से, प्रशिक्षण अथवा शैक्षिक अध्ययन के लिए संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों व और अन्य कर्मचारीवृंदों को विदेश दौरे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो समय–समय पर अधिकाधिक किए जाएं, अनुमोदित करने की शक्ति होगी;

(vi) उप परिनियम (9) में, या "उन्हें लागू किया जा सके" शब्दों के पश्चात "केन्द्रीय सरकार में" से शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, और "अनुपूरक नियमों (एफआरएसआर)" शब्दों के पश्चात "और साधारण वित्तीय नियम (जीएफआर)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं;

(vii) उप परिनियम 13 पश्चात, निम्नलिखित उप परिनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात:–

"(14) निदेशक, कार्य परिषद की ओर से, संस्थान और रजिस्ट्रार के मध्य सेवा के और निबंधनों शर्तों को निष्पादित करेगा।"।

14. मूल परिनियम के, परिनियम 16 में,—

(i) उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप परिनियम रखे जाएंगे,

(1) संस्थान का रजिस्ट्रार अनुबंध के आधार पर परिनियम 17 के खंड (ग) के तहत गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा।

(ii) उप परिनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप परिनियम रखा जाएगा, अर्थातः—

"(2) रजिस्ट्रार को तीन वर्ष के कार्यकाल के आधार पर नियुक्त किया जाएगा तथा अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों शर्तों द्वारा शासित होगा।";

(iii) उप परिनयम (3) में, खंड (छ) और (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात: ––

"(छ) संस्थान की चल और अचल संपत्तियों का सुरक्षा और अनुरक्षण करना;

(ज) संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमों या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना और इस प्रयोजनार्थ अपने प्रतिनिधियों का अभिवाक या विरोध करना;"।

15. मूल परिनियम के, परिनियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात: ––

"17. नियुक्ति प्राधिकारी,– (1) संस्थान द्वारा की गई नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियुक्ति प्राधिकारी होंगे, अर्थात: ––

(क) कार्य परिषद, यदि नियुक्त किया गया पद जहाँ अधिकतम वेतनमान सहायक प्राध्यापक के समान अथवा अधिक हो; और

(ख) अन्य किसी मामले में, निदेशक।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों हेतु चयन समिति उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

सारणी

(1)	(2)
आचार्य अध्यापक अथवा सह आचार्य	(1) निदेशक चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (2) एक शिक्षाविद जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशिती होगा। (3) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से निदेशक द्वारा संबंधित विषय या क्षेत्र से नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ। (4) संकाय का संकायाध्यक्ष, जहां लागू हो। (5) विभाग या स्कूल का प्रमुख अथवा अध्यक्ष। (6) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक अथवा महिला अथवा नि:शक्त प्रवर्गों यदि कोई हों, का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शिक्षाविद, जो निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, उपरोक्त प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक है, और यदि उपर्युक्त चयन कम से कम समिति के सदस्यों में से कोई भी उस प्रवर्ग से नहीं है: परंतु कि बाह्य विषय विशेषज्ञ सहित कम से कम चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
सहायक आचार्य	(1) निदेशक, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (2) एक शिक्षाविद जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए। (3) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से निदेशक द्वारा संबंधित विषय या क्षेत्र से नामनिर्देशिती तीन विशेषज्ञ। (4) संकाय का संकायाध्यक्ष, जहां लागू हो। (5) विभाग या स्कूल का प्रमुख अथवा अध्यक्ष। (6) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक अथवा महिला अथवा नि:शक्त प्रवर्गों, यदि कोई हो, का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद, जो निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, यदि उपरोक्त प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई उम्मीदवार आवेदक है, और यदि उपर्युक्त चयन समिति के सदस्यों में से कोई भी उस प्रवर्ग से नहीं है: परंतु कि बाह्य विषय विशेषज्ञ सहित कम से कम चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

IndiaCode

रजिस्ट्रार अथवा वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक	(1) निदेशक, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (2) एक शिक्षाविद जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशिती होगा। (3) निदेशक द्वारा अनुशंसित और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के सूची में से संबंधित विषय या क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ। (4) संकाय का संकायाध्यक्ष। (5) विभाग का विभागाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष। (6) चयन समिति में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति अथवा महिला अथवा शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा, जब कभी इन प्रवर्गों से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। परंतु कि बाह्य विषय विशेषज्ञ सहित कम से कम चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

16. मूल परिनियम के, परिनियम 18 के उप परिनियम (1) की, मद (ख) पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएंगी,–

"(ग) कार्य परिषद का अध्यक्ष उन मामलों में अपीली प्राधिकारी होगा जिसमें निदेशक अनुशासनिक प्राधिकारी है ;

(घ) निदेशक उन मामलों में अपीली प्राधिकारी है जहां रजिस्ट्रार अनुशसनिक प्राधिकारी है।"।

17. मूल परिनियम में, परिनियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थातः––

"19. निदेशक, आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक पद जो कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित किए जांए, संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद होंगे।

(19 क) संस्थान में निम्नलिखित शैक्षणिक इकाइयां होंगी, अर्थातः––

(क) प्रभाग

(ख) स्कूल

(ग) केंद्र

(घ) विभाग।"।

18. मूल परिनियम के, परिनियम 21 के, खंड (प) में,

(क) "वह यथास्थिति, शैक्षणिक पदों या तकनीकी, अनुसचिवीय और प्रशासनिक पदों के लिए विहित अधिकतम आयु प्राप्त कर लेता हो तो" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अधिकतम आयु" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परंतुक में, "ऐसी अवधि तक जिसे वह उपयुक्त समझे" शब्दों के स्थान पर, "अधिकतम एक अन्य वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

19. मूल परिनियम के, परिनियम 22 में, केंद्रीय सिविल सेवाएं, छुटटी नियमावली, 1972 द्वारा नियंत्रित होगी, "और संस्थान प्रावकाश संस्थान नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर छुट्टी, यथास्थिति केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 या, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010, द्वारा शासित होगी'' शब्द रखे जाएंगे।

20. मूल परिनियम के, परिनियम 24 में, "कर्मचारीवृंद" के स्थान पर, "कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे।

21. मूल परिनियम के, परिनियम 25 में,–

(i) आरंभिक अनुच्छेद में, "के कर्मचारीवृंद का कोई सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "कर्मचारी" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (i) में, "के वेतन" शब्दों के स्थान पर, "की परिलब्धियों" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ii) में, "के वेतन" शब्दों स्थान पर, "की परिलब्धियों" शब्द रखे जाएंगे;

22. मूल परिनियम के, परिनियम 29 में "की जा सकेंगी" शब्दों के स्थान पर "की जाएंगी" शब्द रखे जाएंगे।

23. मूल परिनियम के, परिनियम 32 के, खंड (ग) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "संस्थान" शब्द रखा जाएगा।

24. मूल परिनियम की, अनुसूची I में,–

(i) पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूरा समय संस्थान की सेवा के प्रति समर्पित करेगा और आचरण नियमों तथा वह उक्त अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन होगा और नियुक्त व्यक्ति को उस कार्य, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के संबंध में उसे ज्ञात कोई आधिकारिक सूचना को या जिसका भेद उसे ज्ञात है, गुप्त और गोपनीय समझा जाएगा यदि ऐसी सूचना का सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अन्य व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकता है"।

(ii) पैरा (5) में, "आयकर" शब्द के पश्चात, "अधिनियम 1961 (1961 का 43)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे तथा "भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि" शब्दों के स्थान पर, "वेतन और भत्ते" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) पैरा (7) में, हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(iv) पैरा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात.––

IndiaCode

"(10) नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1944 के अनुसार अपने स्वयं या उसके परिवार पर उपगत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।";

(अ) अनुच्छेद (11) का लोप करके, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात: —

"(11) "नियुक्त व्यक्ति, संस्थान में कार्यग्रहण करने हेतु तथा संस्थान के कार्य के हित में यात्रा करने हेतु मूल नियम और अनुपूरक नियम (एफआरएसआर) भाग II के अधीन केंद्र सरकार के समतुल्य अधिकारी के सामान यात्रा व्यय का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति, मूल नियम और अनुपूरक नियम (एफआरएसआर) भाग II के अधीन अपने गृह नगर जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।"

(vi) पैरा (13) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थातः—

(13) करार की अवधि के दौरान, नियुक्त व्यक्ति की सेवा को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्ति की सूचना की तामील करने के, जांच की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने और पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात, न्यायसंगत और पर्याप्त कारणों से समाप्त की जा सकेगी।

(13क) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान को तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अथवा उसके बदले में तीन मास के उसकी परिलब्धियों के समतुल्य धनराशि का संदाय करके अपनी सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा"।

(vii) पैरा (15) हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्कता नहीं है ;

25. मूल परिनियम की, अनुसूची II में,–

(i) आरंभिक अनुच्छेद (1) में, "कुलाध्यक्ष" शब्द का लोप कर "अध्यक्ष, कार्य परिषद" शब्द अंतःस्थापित किया जाए;

(ii) पैरा (1) में, "स्थायी" शब्द का लोप किया जाए;

(iii) पैरा (3) में, हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्कता नहीं है;

(iv) पैरा (4) में, "परिनियमों के उक्त अधिनियमों" शब्दों के स्थान पर, "परिनियमों और अध्यादेशों" शब्द रखे जाएंगे;

(v) पैरा (5) में, "आयकर" शब्द के पश्चात, "अधिनियम 1961 (1961 का 43)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, और "भत्तों जैसे महगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता आदि" शब्दों के स्थान पर, "वेतन और भत्ते" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) पैरा (7) में, हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्कता नहीं है;

(vii) पैरा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात : —

"(10) नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार अपने स्वयं या उसके परिवार पर उपगत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।";

(viii) अनुच्छेद (11) का लोप करके, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात : —

"(11) "नियुक्त व्यक्ति, संस्थान में कार्यग्रहण करने हेतु तथा संस्थान के कार्य के हित में यात्रा करने हेतु मूल नियम और अनुपूरक नियम (एफआरएसआर) भाग II के अधीन केंद्र सरकार के समतुल्य अधिकारी के सामान यात्रा व्यय का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति, मूल नियम और अनुपूरक नियम (एफआरएसआर) भाग II के अधीन अपने गृह नगर जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।"

(ix) पैरा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात :—

(12) करार की अवधि के दौरान, नियुक्त व्यक्ति की सेवा को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्ति की सूचना तामील करने के पश्चात, जांच की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने और पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात, न्यायसंगत और पर्याप्त कारणों से समाप्त की जा सकेगी।

(12क) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान को तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अथवा उसके बदले में तीन मास के उसकी परिलब्धियों के समतुल्य धनराशि का संदाय करके अपनी सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा।";

(x) पैरा (13) पश्चात, "कार्य परिषद के अध्यक्ष" के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "निदेशक" शब्द, रखा जाएगा और अंत में आने वाले "निदेशक" शब्द के स्थान पर, "रजिस्ट्रार" शब्द रखा जाएगा।

[मि.सं. 15–19/2014–रागाँरायुविसं]

गौरव अग्रवाल, निदेशक (युवा कार्यक्रम)

टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में, सा.का.नि. 461 (अ) द्वारा तारीख 4 जुलाई, 2013 को प्रकाशित किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

(EXECUTIVE COUNCIL OF THE RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH DEVELOPMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2016

G.S.R. 507(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (3) of the section 32 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (35 of 2012), and with the prior approval of the Visitor, the Executive Council hereby makes the following amendments to the First Statutes of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, 2013, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These Statutes may be called the First Statutes of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Amendment) Statutes, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the First Statutes of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development , 2013 (hereinafter referred to as the principal statutes), in Statute 2, in sub-statute (1), -

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ca) "Board of Research Studies" means the authority as referred to in clause (c) of section 11 of the Act;

(cb) "Board of Studies" means the authority as referred to in sub-section (c) section 11 of the Act;';

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ea) "Controller of Examinations" means the Controller of Examinations of the Institute as referred to in clause (c) of section 21 of the Act;

(eb) "Dean" means the Dean of a School of the Institute;

(ec) "Division" means a unit of the Institute engaged in activities as specified in the Statutes;';

(iii) after clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

'(ga) "employee" means a person duly employed by the Institute and receiving emoluments;

(gb) "Faculty" means the teaching and research faculty of the Institute;

(gc) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Institute as referred to in clause (c) of section 11 of the Act;

(gd) "Finance Officer" means the Finance Officer of the Institute as referred to in clause (c) of section 21 of the Act;';

(iv) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ha) "officer" means an officer of the Institute as referred to in sub-section (c) of section 21 of the Act;

(hb) "Planning Board" means an authority as referred to in clause (c) of section 11 of the Act;

(v) in clause (i), for the words "any programme", the words " all academic and training programmes" shall be substituted;

(vi) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ia) "rules" mean the rules of the Institute made by the Central Government under the Act;';

(vii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ja) "School" means a School of studies of the Institute;'.

3. In the principal statute, in statute 3, after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(e) the Planning Board;

(f) the Board of Studies; and

(g) the Board of Research Studies.".

4. In the principal statute, in statute 4,-

(i) for sub-statutes (4) and (5), the following sub-statutes shall be substituted, namely:-

"(4) Meetings of the Executive Council shall be convened by the Director of the institute in consultation with the Chairperson or on a requisition signed by not less than fifty percent of the members of the Executive Council.

(5) At-least one third of the members shall be the quorum for a meeting of the Executive Council:

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held after half an hour from the scheduled time of holding the meeting and members present then, shall form the quorum".;

(ii) in sub-statute (6), for the words, "the Chairperson", the words "the one who Chairs" shall be substituted;

(iii) for sub-statute (13), the following sub-statute shall be substituted, namely:-

"(13) The minutes of the proceedings of a meeting of the Executive Council shall be drawn up by the Registrar in consultation with the Director and after approval by the person who chaired the meeting of the Executive Council shall be circulated to all the members and be placed in the next meeting and in that next meeting or through circulation, the minutes shall be confirmed by the majority of members" shall be substituted;";

(iv) in sub-statute (16), for the words "considered by the Building and Works Committee after obtaining the administrative approval of the Executive Council"; the words *"considered by the Finance committee" shall be substituted;*

(v) for sub-statute (17), the following sub-statutes shall be substituted, namely.-

"(17) No matter which should be first considered by the Academic Council or Building and Works Committee or Finance Committee, shall be placed directly before the Executive Council.

(18) If a member of the Executive Council fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the council, he shall leave to be a member of the council.".

5. In the principal statute, in statute 5,-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Powers and functions of the Executive Council representatives.".

6. In the principal statute, in statute 7,-

(i) in sub-statute (3), for the words "representatives of", the words, "representative to" shall be substituted;

(ii) in sub-statute (4), for the words "two times during a calendar year", the words *"three times during an academic year of the Institute*." shall be substituted;

(iii) in sub-statute (7), for the word "half", the word *"third"* shall be substituted;

(iv) in sub-statute (8), after the words, "Academic Council", the following words shall be inserted, namely:-

"and in his absence, the senior most Dean present shall preside over the meeting";

(v) in sub-statute (12), after the word "Registrar", the words *"in consultation with the Director"* shall be inserted;

(vi) after the sub-statute (13), the following sub-statutes shall be inserted, namely:-

"(14) The notice may be delivered either by hand or through electronic means or by ordinary post.

(15) The *Agenda shall be circulated by the Registrar to all members at least one week before the meeting.*

(16) *During the discussions on admission, examination, evaluation and service conditions of faculty and staff, student representatives to the Academic Council shall not be permitted to participate.".*

7. In the principal statute, in statute 8,-

(i) in the opening paragraph, for the words "power to", the words "*powers and functions to"* shall be substituted;

(ii) in clause (i), for the words "courses of studies", the words "*programmes of studies, as recommended by the Board of Studies"* shall be substituted;

(iii) in clause (ii), for the words "Advisory Councils", the words *"appropriate authorities of the Institute"* shall be substituted;

(iv) in clause (iv), for the word "declare", the word *"approve*" shall be substituted;

(v) for clauses (vi) and (vii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vi) consider the recommendations of the appropriate authorities of the Institute attached to various divisions, schools, centres *and departments and that of expert and other committees and to make recommendations to the Executive Council for appropriate action;*

IndiaCode

(vii) make provisions for periodic review of the activities of the Faculties, Divisions, Schools, Centres and Departments and to make recommendations to the Executive Council for appropriate action;";

(vi) in clause (viii), for the words, "make periodical", the words "*make periodic*" shall be substituted;

(vii) in clause (ix), for the words "make periodical", the words "*make provision for periodic*" shall be substituted;

(viii) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:-

"(x) provide for a comprehensive academic audit system, to review the functioning and performance of divisions, schools, centres, departments, library and other academic infrastructure once in three years along with setting up of an internal quality assurance cell, and to recommend to the Executive Council".

(ix) for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(xiii) recommend to the Executive Council for creation, restructuring or closure of divisions, schools, centres, and departments of the Institute, with appropriate infrastructure;";

(x) in sub-statute (xv), for the word "make", the word "recommend" and for the word "distance", the word "virtual" shall be substituted;

(xi) after clause (xv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(xvi) recommend collaborations, joint education and research programmes with academic or research institutions within the country and abroad.".

8. In the principal statute, in statute 9, after the words "for approval", the words "*and ratification*" shall be inserted.

9. In the principal statute, in statute 10, -

(i) in sub-section (1), for the words "every member", the words "*every membership*" shall be substituted;

(ii) in sub-statute (2), for the words "in a year", the words *"in a financial year"* shall be substituted;

(iii) in sub-statute (3), for the words *"for a meeting"*, *the words "for the meeting"* shall be substituted.

10. In the principal statute, in statute 11,-

(i) in sub-statute (1), in clause (f), for the words "one expert", the words *"two* experts" and for the word "Member", the word – "*Members*" shall be substituted;

(ii) in sub-statute (3), for the words "four times in a year", the words "*four times in a financial year*" shall be substituted;

(iii) in sub-statute (5), for the words "shall be placed before the Executive Council", the words "*shall be routed through Finance Committee and placed before the Executive Council for consideration and approval*" shall be substituted.

11. In principal statute, in statute 12, in sub-statute (2), after the words "Executive Council", the words "*for ratification and approval*" shall be inserted.

12. In the principal statute, for statute 13, the following statutes shall be substituted, namely:-

"13. powers of Chairperson.- The Chairperson shall execute the contract of service between Institute and the Director on behalf of the Visitor.".

13. In the principal statute, in statute 15,-

(i) in the heading, for the words "Director and his powers", the words, "*Powers of the Director*" shall be substituted;

(ii) in sub-statute (2), for the word "Institute", the words, "*Chairperson of the Executive Council*" shall be substituted;

(iii) in sub-statute (5), for the words, "up to a limit of twenty-five thousand rupees, subject to such stipulations as may be made", the words, *"as may be stipulated"*, shall be substituted;

(iv) in sub-statute (6), the words, "in the vicinity of the Institute", shall be omitted.

IndiaCode

(v) for sub-statute (7), the following sub-statutes shall be substituted, namely:-

"(7) The Director shall have the power to appoint academic and non-academic staff in the institute from time to time on temporary basis with the approval of the Executive Council who may be paid from contingencies for not more than one year.

(7A) *The Director shall have the power to approve the foreign visits of the faculty, officers and other staff of the Institute for training or academic pursuits in consultation with the Central Government in the Department of Youth Affairs subject to such terms and conditions as may be laid down from time to time.;*

(vi) in sub-statute (9), after the words "Head of Department", the words, *"in the Central Government"* shall be inserted and after the words "Supplementary Rules (FRSR)", the words, "*and General Financial Rules (GFR)*" shall be inserted;

(vii) after sub-statute 13, the following sub-statute shall be inserted, namely:-

"(14) *The Director shall execute the terms and conditions of service between the Institute and the Registrar on behalf of the Executive Council.".*

14. In the principal statute, in statute 16,-

(i) for sub-statute (1) the following sub-statute shall be substituted, namely:-

(1) The Registrar of the Institute shall be appointed on contract basis based on the recommendation of a selection Committee constituted as provided under clause (c) of Statute 17.

(ii) for sub-statute (2), the following sub-statute shall be substituted, namely:-

"(2) The Registrar shall be appointed on tenure basis for a period of three years and shall be governed by the terms and conditions of services as specified in Schedule II.";

(iii) in sub-statute (3), for clauses (g) and (h), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(g) to safeguard and maintain the movable and immovable properties of the Institute;

(h) to represent the Institute in suits or proceedings by or against the Institute, sign power of attorney and plead or depute his representatives for the purpose;".

15. In the principal statute, for statute 17, the following statute shall be substituted, namely:-

"17. Appointing authority.- (1) The following shall be the appointing authority with respect to the appointment made by the Institute, namely:—

(a) the Executive Council, if the appointment is made for a post where the maximum of the pay scale is the same or higher than that of an Assistant Professor; and

(b) the Director, in any other case.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column (1) of the Table below shall consist of the persons specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

Table

(1)	(2)
Professor or Associate Professor	(1) Director shall be the Chairperson of the selection Committee. (2) An academician who is the nominee of the Visitor. (3) Three experts in the relevant subject or field nominated by the Director out of the panel of names approved by Executive Council. (4) Dean of the Faculty, wherever applicable. (5) Head or Chairperson of the Department or School. (6) An academician representing Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Other Backward Class or Minority or Women or Differently-abled

	Categories, if any, of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Director, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category: Provided that at least four members including two outside subject experts, shall constitute the quorum.
Assistant Professor	(1) Director to be the Chairperson of the selection Committee. (2) An academician who is the nominee of the Visitor. (3) Three experts in the concerned subject/ field nominated by the Director out of the panel of names approved by Executive Council. (4) Dean of the Faculty, wherever applicable. (5) Head or Chairperson of the Department or School. (6) An academician representing the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or Other Backward Class or Minority or Women or Differently-abled categories if any, of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Director, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category. Provided that at least four members including two outside subject experts shall constitute the quorum.
Registrar or Finance Officer and Controller of Examinations	(1) Director to be the Chairperson of the selection Committee (2) An academician who is the nominee of the Visitor. (3) Three experts in the concerned subject or field out of the list recommended by the Director and approved by Executive Council. (4) Dean of the Faculty. (5) Head or Chairperson of the Department (6) A representative of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe, Women and physically handicapped should be in the selection committee whenever a candidate from any of these categories appears for the interview. Provided that atleast four members including two outside experts, must constitute the quorum.

16. In the principal statute, in statute 18, in sub-statute (1), after item (b), the following items shall be inserted,-

"(c) *The Chairman of the Executive Council shall be the Appellate Authority in cases where the Director is the Disciplinary Authority;*

(d) The Director shall be the Appellate Authority where the Registrar is the Disciplinary Authority.".

17. In the principal statute, for statute 19 the following statutes shall be substituted, namely:-

"19. The academic staff of the Institute shall be the Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, and such other academic posts as may be decided by the Executive Council.

19A. The Institute Shall have the following academic units, namely:-

(a) Division;

(b) School;

(c) Centre;

(d) Department.".

18. In the principal statute, in statute 21, in clause (i),

(a) for the words, "he attains the prescribed maximum age for teaching posts or for technical, ministerial and administrative posts, as the case may be'', the words, "*maximum prescribed age as per UGC norms for teaching staff and Government of India norms for non-teaching staff*" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words, "such periods as it may deem fit", the words "a maximum of one more year;" shall be substituted.

19. In the principal statute, in statute 22, for the words, "and the Institute shall not be a vacation institute.", the words, "or the *University Grants Commission Regulations, 2010*, as the case may be'', shall be substituted.

20. In the principal statute, in statute 24, for the word "staff", the word *"employees*" shall be substituted.

21. In the principal statute, in statute 25,-

(i) in the opening paragraph, for the words "a member of the staff", the words, "an employee" shall be substituted;

(ii) in clause (i), for the word, "salary'', the word *"emoluments*" shall be substituted;

(iii) in clause (ii), for the word "salary'', the word, *"emoluments*" shall be substituted;

22. In the principal statute, in statute 29, for the word, "liable to", the word, *"liable for"* shall be substituted.

23. In the principal statute, in statute 32, in clause (c), for the words, "Central Government", the word, *"Institute*", shall be substituted.

24. In the principal statute, in Schedule 1,-

(i) for paragraph (4) the following shall be substituted, namely:-

"(4) The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and shall be subject to the Conduct Rules and other provisions of the Act, Statutes and Ordinances and any official information in his knowledge as obtained by the appointee in connection with the work upon which he is engaged or he is privy to, shall be treated as secret and confidential if such information cannot be disclosed to others under the Right to Information Act, 2005.";

(ii) in paragraph (5), after the words "Income-tax", the word *"Act*, 1961 (43 of 1961)" shall be inserted and for the words, "allowances like dearness allowance, city compensatory allowance, etc.," the words, *"pay and allowances",* shall be substituted.

(iii) in paragraph (7), for the word, "affected", the word, *"effected*", shall be substituted;

(iv) for paragraph (10), the following paragraph shall be substituted, namely.-

"(10) The appointee shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on him and his family as per the Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944.";

(v) for paragraph (11), the following paragraph shall be substituted, namely.-

"(11) The appointee shall be entitled for travelling expenses for joining the Institute and also for travel in the interest of Institute work, at par with an officer of the Central Government as *Fundamental Rules and Supplementary Rules (FRSR) Part II. Also, the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per Fundamental Rules and Supplementary Rules (FRSR) Part II. ",*

(vi) for paragraph (13), the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"(13) The service of appointee may, during the period of agreement, be terminated by the appointing authority for just and sufficient causes, after following the due process of enquiry and providing sufficient opportunity after serving the notice of termination.

(13 A) The appointee may resign from his service by giving to the Institute three calendar months' notice in writing or by paying a sum equivalent to three months emoluments in lieu thereof.";

(vii) after paragraph (15), for the word "Chairman", the word, *"Chairperson*", shall be substituted.

25. In the principal statute, in Schedule II,-

(i) in opening paragraph, for the word "Visitor", the word "Chairperson, Executive Council" shall be inserted;

(ii) in paragraph (1), the word, "confirmed" shall be omitted;

(iii) in paragraph (3), for the word, "appointee ", the word, "appointee *shall*", shall be inserted;

(iv) in paragraph (4), for the words "Act of the Statutes", the words "*Statutes and Ordinances"* shall be substituted;

(v) in paragraph (5), after the word, "Income-tax" the word, *"Act*, 1961 (43 of 1961)" shall be inserted and for the words, "allowances like dearness allowance, city compensatory allowance, etc.", the words, *"pay and allowances",* shall be substituted;

(vi) in paragraph (7), for the word, "affected", the word, *"effected*", shall be substituted;

(vii) for paragraph (10), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(10) The appointee shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on him and his family as per the Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944."

(viii) for paragraph (11), the following paragraph shall be substituted, namely.-

"(11) The appointee shall be entitled for travelling expenses for joining the Institute and also for travel in the interest of Institute work, at par with an officer of the Central Government as *Fundamental Rules and Supplementary Rules (FRSR) Part II. Also, the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per Fundamental Rules and Supplementary Rules (FRSR) Part II. ",*

(ix) for paragraph (12), the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"(12) The service of appointee may, during the period of agreement, be terminated by the appointing authority for just and sufficient causes, after following the due process of enquiry and then providing sufficient opportunity after serving the notice of termination.

(12 A) The appointee may resign from his service by giving to the Institute three calendar months' notice in writing or by paying a sum equivalent to three months emoluments in lieu thereof.";

(x) after paragraph (13), for the words, "Chairman of the Executive Council", wherever they occur the word, "Director", and at the end for the words "Director", the word "Registrar" shall respectively be substituted;

[F.No.15-19/2014-RGNIYD]
GAURAV AGARWAL, Director (Youth Affairs),

Note: The principal statute was published in the Gazette of India, Extraordinary part II, section 3, Sub-section (i) vide G.S.R 461(E) date of the 4th July, 2013.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.